कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में मनोरंजन शुल्क से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 53.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण शासन द्वारा डी.टी.एच. सेवाओं से मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति बताया गया।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमने मनोरंजन शुल्क से संबंधित 20 इकाइयों* के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 2,949 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 1.92 करोड़ की राजस्व हानि एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। विभाग ने 700 प्रकरणों में ₹ 70 लाख़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान इंगित किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान 398 प्रकरणों में ₹ 10 लाख की राशि वसूल की गई थी।
हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है।	इस अध्याय में हमने जिला आबकारी अधिकारियों/सहायक आबकारी आयुक्तों के कार्यालयों में मनोरंजन शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 41.33 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये मनोरंजन कर के अनारोपण, विज्ञापन कर के अनारोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

* मनोरंजन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में निष्पादित की जाती है। लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या अध्याय–तीन (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गई है।

अध्याय – 7
मनोरंजन शुल्क

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

मनोरंजन शुल्क से संबंधित 20 इकाइयों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,949 प्रकरणों में ₹ 1.92 करोड़ की राजस्व हानि एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वी.सी.आर./केबल आपरेटर संचालकों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न करना/कम जमा करना	441	0.13
2.	मनोरंजन शुल्क वसूल न होना	186	0.12
3.	मनोरंजन शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट	123	0.37
4.	टिकटों का लेखांकन न होने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	6	0.01
5.	अन्य प्रेक्षण	2,193	1.29
योग		**2,949**	**1.92**

वर्ष 2010–11 के दौरान, विभाग ने 700 प्रकरणों में ₹ 70 लाख की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। 398 प्रकरणों में ₹ 10 लाख की राशि वसूल की गई ।

₹ 41.33 लाख के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

[1] मनोरजंन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में निष्पादित की जाती है । लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या अध्याय–तीन (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गयी है ।

7.2 नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ति का आरोपण न होना

मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 में प्रावधान है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क का संचालक (केबल ऑपरेटर) प्रतिमाह (माह के अंतिम तीन दिनों में) उसके द्वारा संधारित विहित पंजी के आधार पर एक मासिक विवरण पत्रक कोषालय चालानों के साथ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा । इनमें आगे यह भी प्रावधान है कि केबल ऑपरेटर द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर वह ₹ 5,000 तक के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा ।

जून 2009 और जुलाई 2010 के मध्य तीन जिला आबकारी कार्यालयों[2] के केबल ऑपरेटरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 129 केबल ऑपरेटरों ने अप्रैल 2008 और जून 2010 के मध्य मासिक विवरण पत्रक प्रस्तुत नहीं किये थे जिसके परिणामस्वरूप केबल ऑपरेटरों द्वारा देय मनोरंजन शुल्क (ई.डी.) का लेखा असत्यापित रहा/चालानों से बिना पुनर्मिलान के रहा । तथापि, विभाग ने केबल ऑपरेटरों से मासिक विवरण पत्रक की मांग तथा मासिक विवरण पत्रक प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी केबल ऑपरेटरों पर अधिकतम शास्ति ₹ 96.55 लाख का आरोपण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.55 लाख का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2011) कि बालाघाट जिले में केबल ऑपरेटरों के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने की कार्रवाई की गयी थी । छिंदवाड़ा जिले के सभी 102 केबल ऑपरेटरों पर ₹ 9,730 की शास्ति आरोपित की गयी थी । सिहोर जिले के संबंध में यह बताया गया कि आक्षेपित अवधि के मासिक विवरण पत्रक (सी.टी. 5) सभी केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे । उनके द्वारा देय मनोरंजन शुल्क की राशि नियत समय में जमा कर दी गयी थी, अतः शासन को कोई हानि नहीं हुई थी तथा शास्ति आरोपणीय नहीं थी । सिहोर जिले के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवरणियां (सी.टी. 5) नियत समय पर प्रस्तुत न करने के लिए शास्ति आरोपण की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी थी ।

हमने नवंबर 2010 एवं मई 2011 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2012) ।

[2] जिला आबकारी अधिकारी – बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा सिहोर ।

7.3 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि संचालक द्वारा दर्शकों से प्राप्त की गई निर्धारित राशि* पर कोई मनोरंजन शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते सिनेमा हाल में दर्शकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गयी हों । प्रदान की गयी सुविधाओं का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय की राशि का विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सत्यापित करवाकर सिनेमा हाल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा । यदि कलेक्टर प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाएं प्रदान करने के लिए मान्य की गयी राशि के संबंध में सिनेमा गृह के मालिक से शुल्क वसूल कर सकेंगे । आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार प्रदान की गई सुविधाएं और उन पर किये गये व्यय की राशि का चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत न करने पर कुल टिकट राशि पर मनोरंजन शुल्क सिनेमा गृह मालिक से वसूल किया जायेगा ।

मार्च 2009 और दिसंबर 2010 के मध्य चार सहायक आबकारी आयुक्त [3] और नौ जिला आबकारी कार्यालयों [4] में सिनेमा गृह मालिकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 58 सिनेमागृह मालिकों द्वारा अप्रैल 2007 और मार्च 2010 के मध्य दर्शकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टिकटों की बिक्री में ₹ 85.80 लाख की राशि संग्रहीत की गई । यद्यपि, सिनेमा हाल में प्रदान की गई सुविधाएं और उन पर व्यय का लेखाजोखा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित कराकर कलेक्टर को अग्रेषण हेतु सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा ₹ 20.24 लाख के मनोरंजन शुल्क के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । आगे, हमने सहायक आबकारी आयुक्त, सागर के अभिलेखों से अवलोकित किया कि एक सिनेमागृह मालिक ने दर्शकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ₹ 12.19 लाख संग्रहीत किया जिसमें विगत वर्षों की राशि शामिल कर वर्ष 2009–10 में (₹ 11.01 लाख) तथा वर्ष के दौरान (₹ 1.18 लाख) अग्रेनीत की गई थी । इसमें से उसने वर्ष 2009–10 में ₹ 79,000 व्यय किये तथा शेष राशि ₹ 11.40 लाख व्यय नहीं की जा सकी क्योंकि सिनेमागृह दिनांक 1 जुलाई 2009 से बंद हो गया था । अतः इस राशि पर ₹ 3.80 लाख का मनोरंजन शुल्क सिनेमागृह मालिक से वसूल किया जाना था किन्तु

* प्रति टिकट ₹ 2.00 से अनधिक ।

[3] ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तथा उज्जैन ।

[4] छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, खण्डवा, खरगौन, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना तथा विदिशा ।

विभाग द्वारा इसकी वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.04 लाख का मनोरंजन शुल्क वसूल नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा यह विभाग और शासन को दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य इंगित किये जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने बताया (मार्च और मई 2011 के मध्य) कि सहायक आबकारी आयुक्त, सागर ने ₹ 3.80 लाख वसूल कर लिया था । आगे, पांच जिलों[5] के सिनेमागृहों के 21 संचालकों द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्रदान की गई सुविधाएं और उन पर हुए व्यय की राशि का विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सम्यक रूप से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कर दिया गया है । जिला आबकारी अधिकारी, विदिशा ने बताया (अगस्त 2010) कि विवरण पत्रक प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी और अन्य सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकरी अधिकारियों ने फरवरी और दिसम्बर 2010 के मध्य बताया कि सिनेमा गृह मालिकों से विवरणियां प्राप्त की जा रहीं थीं । उत्तरों से यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि निर्धारित अवधि में सम्यक रूप से लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त न होने पर भी मनोरंजन शुल्क वसूल करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

7.4 केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क वसूल न करना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 तथा मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 के अनुसार, केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक केबल टेजीविजन नेटवर्क और होटल या लॉजिंग हाउस का प्रत्येक संचालक माह के अंतिम दिवस से सात दिन के भीतर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

मार्च 2010 और फरवरी 2011 के मध्य छः सहायक आबकारी आयुक्त [6] एवं आठ जिला आबकारी अधिकारियों [7] के कार्यालयों में केबल संचालकों के मांग एवं संग्रह पंजी की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 और जनवरी 2011 के मध्य केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 574 केबल ऑपरेटरों तथा 11 होटल या लॉजिग हाऊस के संचालकों द्वारा ₹ 17.29 लाख का मनोरंजन शुल्क जमा नहीं किया गया था । विभाग ने भी देय राशियों को वसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.29 लाख का शुल्क वसूल नहीं हुआ ।

---

[5] छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगौन, नरसिंहपुर तथा उज्जैन ।

[6] सहायक आबकारी आयुक्त – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर तथा उज्जैन ।

[7] जिला आबकारी अधिकारी – छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, कटनी, खण्डवा, खरगौन, नीमच, सतना तथा विदिशा ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मार्च एवं मई 2011 के मध्य) कि आठ जिलों[8] के 270 केबल ऑपरेटरों से ₹ 8.74 लाख वसूल कर लिये गये हैं । अन्य सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकारी अधिकारियों ने मार्च 2010 और फरवरी 2011 के मध्य बताया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही थी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

हमने प्रकरण आबकारी आयुक्त और शासन को प्रतिवेदित किया था (दिसंबर 2010 और मई 2011 के मध्य); आबकारी आयुक्त द्वारा आठ जिलों को छोड़कर उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (मार्च 2012) ।

7.5 विज्ञापन कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर ₹ 50 प्रतिमाह की अनधिक दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा ।

मार्च 2010 और फरवरी 2011 के मध्य पांच सहायक आबकारी आयुक्तों[9] तथा नौं जिला आबकारी अधिकारियों [10] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 से नवम्बर 2010 तक की अवधि हेतु 1,740 केबल ऑपरेटरों और चार वीडियो पार्लरों के संचालकों द्वारा ₹ 9.99 लाख के विज्ञापन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसका निर्धारण एवं वसूली की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.99 लाख के विज्ञापन कर का अनारोपण हुआ/वसूली नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने मई 2011 में बताया कि यद्यपि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केबल ऑपरेटरों पर विज्ञापन कर आरोपणीय नहीं है, विधि विभाग का अभिमत प्राप्त करने के लिए एक पत्र प्रशासन विभाग को लिखा गया है (अगस्त 2009 और अप्रैल 2011 के मध्य) तथा उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों में विज्ञापनों का प्रदर्शन करने वाले केबल ऑपरेटरों और वीडियों आपरेटरों को कर भुगतान करने की देयता से मुक्त नहीं रखा गया है । इसके अलावा, विभाग छः जिलों[11] में विज्ञापन कर वसूल कर रहा है । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

हमने दिसंबर 2010 और मई 2011 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

---

[8] भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, कटनी, नीमच, सागर, उज्जैन तथा विदिशा ।

[9] सहायक आबकारी आयुक्त – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायसेन तथा सागर ।

[10] जिला आबकारी अधिकारी – छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मुरैना, नीमच, सतना तथा विदिशा ।

[11] अनूपपुर, धार, मण्डला, शहडोल, शाजापुर और शिवपुरी ।